निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 28/2022
दायरा दिनांकः–09.05.2022
निर्णय दिनांकः– 20.8.24

उनवान

1. केसरीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र पांचुलाल जाति कुम्हार निवासी बरोनी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. नाथुलाल आयु 55 वर्ष पुत्र पांचूलाल जाति कुम्हार निवासी बरोनी
2. संतोष बाई 40 वर्ष पत्नि हरनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम नवाबगंज (नारायणपुरा) तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 20.8.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायण लाल चौरसिया – प्रार्थी
2. श्री राकेश गालव – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 10/12 की खसरा नम्बर 148 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बरोनी तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि को प्रार्थी ही कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी प्रार्थी का सगा भाई है जो प्रार्थी अप्रार्थी को प्रत्येक वर्ष पांती से जुपाता रहता था प्रार्थी काम धंधे के सिलसिले में बारां निवास करता है किन्तु अप्रार्थी की नियत में बेईमानी होने से उक्त विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने के उद्धेश्य से प्रार्थी को इस वर्ष पांती से देना बंद कर दिया जब प्रार्थी ने अप्रार्थी से जमीन खाली करने को कहा तो उक्त भूमि पर अप्रार्थी क्रम 2 को जुपानेके लिए इकरार कर लिया और जब प्रार्थी दिनांक 05.05.2022 को ट्रेक्टर लेकर जमीन हांकने के लिए गया तो अप्रार्थीगण लडाई–झगडा करने पर आमादा हो गए तथा प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उक्त भूमि की पैमाइश करवाकर कब्जा संभलाने की कहां तो अप्रार्थीगण ने पैमाईश कराने से मना कर दिया और कहां कि उक्त आशय का परिवाद छबडा थाने में दिया था।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बरोनी सम्वत 2076–79 खाता संख्या 10 नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:45:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बरोनी में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है अप्रार्थी प्रार्थी का सगा भाई है प्रार्थी अप्रार्थी को प्रत्येक वर्ष पांती से जुपाता रहता था। प्रार्थी काम करने के लिए बारां चला गया प्रार्थी बारां निवास करता है प्रार्थी ने अप्रार्थी को पांती देना बन्द कर दिया प्रार्थी ने अप्रार्थी से जमीन खाली करने को कहा तो उक्त भूमि पर अप्रार्थी क्रम 2 को जुपाने के लिए इकरार कर लिया प्रार्थी भूमि हांकने गया तो अप्रार्थीगण लडाई–झगडा करने पर आमादा हुए प्रार्थी ने उक्त भूमि की पैमाईश करवाने के लिए कहां तो अप्रार्थीगण द्वारा मना कर दिया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थी का कोई कब्जा नही है विवादित भूमि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के शामलाती खातेदारी में है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी का कब्जा होना बताया तथा अप्रार्थी को पांती पर देना बताया है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को पांती पर देना का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया। विवादित भूमि मे प्रार्थी का किस तरफ कब्जा काश्त था भूमि का बंटवारा नही हो हो रहा है शामलाती खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी द्वारा समस्त शामलाती खातेदारों को पक्षकार नही बनाया है इसलिए यह नही कहा जा सकता की प्रार्थी की भूमि कहां पर है तथा कहां कब्जा काश्त है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बरोनी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 10 में प्रार्थी का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा शामलाती खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी शामलाती खातेदार है अर्थात् सभी खातेदारों का सम्पूर्ण भूमि पर बराबर–बराकर हक है। अतः प्रार्थी यह साबित करने मं विफल रहा है कि अप्रार्थीगण किस आधार पर वादी को अपरिमित क्षति पहुंचा रहा है। लिहाजा प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:45:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, छबडा